# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेशर सरकार का उपकम)
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
**CIN:U32201UP1999SGC024928**

सं0–1420–विप(21)पाकालि / 18–24–वीपी / 2000 — दिनांकः 21 दिसम्बर, 2018

## कार्यालय–ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं समस्तरीय न्यायालयों तथा विभिन्न जनपदों में स्थित मा0 जनपद न्यायालयों / अधिकरण एवं सम–स्तरीय न्यायालयों व प्राधिकरणों के समक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, तथा अधीनस्थ डिस्कॉम कम्पनियों के पक्ष में, प्रभावी पैरवी करने हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या 660–वि0प0(21) / पाकालि / 2003 दिनांक 05.4. 2003 एवं संख्या 661–वि0प0(21) / पाकालि / 2003 दिनांक 05.4.2003 के अतिक्रमण में कारपोरेशन एवं विभिन्न डिस्कॉम के स्तरों पर पैनल अधिवक्ता / स्थाई अधिवक्ता, नामित किये जाने हेतु प्रकिया एवं शर्तें एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं :–

(क) <u>मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं सम–स्तरीय न्यायालयों हेतु :–</u>

1– अधिवक्ताओं / स्थाई अधिवक्ताओं को कारपोरेशन पैनल पर नामित करने एवं हटाने का अधिकार विधि अधिकारी, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) तथा प्रबन्ध निदेशक की 03 (तीन) सदस्यीय समिति को होगा।

2– उक्तानुसार डिस्काम स्तरो पर 03 (तीन) सदस्यीय समिति द्वारा अधिवक्ताओं / स्थायी अधिवक्ताओं को पैनल पर नामित किया जायेगा।

3– चालू कैलेन्डर वर्ष में केवल एक बार अधिवक्ताओं को पैनल पर नामित करने की कार्यवाही की जाएगी जब मा0 न्यायालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित रहता है। उक्त अवकाश के 03 (तीन) माह पूर्व अर्ह अधिवक्ताओं से ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकता की स्थिति में वर्ष की अवशेष समयावधि में अधिवक्ताओं को नामित / नियुक्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

4– मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं सम–स्तरीय न्यायालयों में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता एवम् स्थाई अधिवक्ता के पास कम से कम क्रमशः 07(सात) वर्ष एवम् 10(दस) वर्षो का अनुभव अनिवार्य होगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय हेतु कम से कम 10(दस) वर्षो का अनुभव अनिवार्य होगा।

5– पैनल अधिवक्ता हेतु वार्षिक आय कम से कम रू0 5 (पॉच) लाख तथा स्थाई अधिवक्ता हेतु वार्षिक आय कम से कम रू0 07 (सात) लाख होनी चाहिए।

6– पैनल अधिवक्ता हेतु यह आवश्यक होगा कि उसके द्वारा पिछले 03 वर्षों में कम से कम 50 मुकदमों में पैरवी की गयी हो एवं इनमें से कम से कम 30 प्रतिशत से अधिक मुकदमों में जीत / सफलता प्राप्त की गयी हो। तद्नुसार, स्थाई अधिवक्ता हेतु यह संख्या क्रमशः 80 तथा 30 प्रतिशत है।

7– स्थाई अधिवक्ताओं को नामित/नियुक्त करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं में से कार्य कुशलता के आधार पर भी नियुक्ति की जा सकती है।

8– लम्बित/पुराने मुकदमों में काउन्टर की त्वरित फाइलिंग तथा उनका त्वरित निष्पादन किया जाना Performance का एक आधार होगा।

9– स्थाई अधिवक्ताओं के स्तर से कम से कम 60 प्रतिशत प्रकरणों की नोटिसें पैनल अधिवक्ताओं को आवटित किया जाना अनिवार्य होगा जिसके लिए विधि अधिकारी/सम्बन्धित डिस्कॉम के उप विधि अधिकारी एक प्रारूप (Format) तैयार करेंगे जिस पर सम्बन्धित स्थाई अधिवक्ता एक सप्ताह में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे।

10– कोई विशिष्ट मुकदमा किसी विशिष्ट अधिवक्ता को आवंटित किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

11– कारपोरेशन(मु0) स्तर पर मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं की संख्या 35 तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं की संख्या 75 तक सीमित कर दी जाय ताकि पैनल अधिवक्ताओं की निष्पादन–क्षमता (Performance) का अनुश्रवण करने में सुविधा रहे। तद्नुसार विभिन्न डिस्कॉम स्तरों पर मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं की संख्या 35 तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं की संख्या 75 तक सीमित कर दी जाय।

12– स्थाई अधिवक्ता की संख्या प्रत्येक जोन में 01(एक) तक सीमित कर दी जाय।

13– कारपोरेशन तथा विभिन्न डिस्कॉम को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी पैनल अधिवक्ता/स्थाई अधिवक्ता को बिना नोटिस या बिना कारण बताये हटा दें।

14– अधिवक्ताओं की नियुक्ति/नामांकन का नवीनीकरण प्रत्येक 03 वर्ष पर आवश्यक होगा।

15– कारपोरेशन की ओर से नामित अधिवक्ता कारपोरेशन के विरूद्ध किसी वाद/अपील/याचिका इत्यादि में पैरवी नहीं करेगें।

16– पैनल/स्थाई अधिवक्ता को पावर कारपोरेशन/डिस्कॉम से सम्बन्धित वाद/अपील/याचिका/अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक बिन्दुओं पर अभिमत हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क अनुमन्य नहीं होगा।

17– दिशा–निर्देशों/प्रकिया/नियमों में किसी प्रकार के शिथिलीकरण का अधिकार कारपोरेशन अथवा सम्बन्धित डिस्कॉम के निदेशक मण्डल को होगा।

(ख) <u>मा0 जनपद न्यायालय एवं सम–स्तरीय न्यायालयों हेतु :–</u>

1– अधिवक्ताओं को कारपोरेशन पैनल पर नामित करने एवं हटाने का अधिकार विधि अधिकारी, निदेशक (का0प्र0प्र0) तथा प्रबन्ध निदेशक की 03(तीन) सदस्यीय समिति को होगा।

2– चालू कैलेन्डर वर्ष में केवल एक बार अधिवक्ताओं को पैनल पर नामित करने की कार्यवाही की जाएगी जब मा0 न्यायालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित रहता है। 03 (तीन) माह पूर्व अर्ह अधिवक्ताओं से ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकता की स्थिति में वर्ष की अवशेष समयावधि में अधिवक्ताओं को नामित/नियुक्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

3– जनपद न्यायालयों में भी पैरवी करने हेतु कम से कम 07 (सात) वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।

4– पैनल अधिवक्ता नामित करने हेतु अधिवक्ता को आयकर–दाता होना चाहिए।

5– पैनल अधिवक्ता हेतु यह आवश्यक होगा कि उसके द्वारा पिछले 03 वर्षों में कम से कम 30 मुकदमों में पैरवी की गयी हो एवं इनमें से कम से कम 15 से अधिक मुकदमों में जीत/सफलता प्राप्त की गयी हो।

6– लम्बित/पुराने सिविल मुकदमों में उत्तर पत्र की त्वरित फाइलिंग/निष्पादन तथा फौजदारी मुकदमों में दोष सिद्धि/राजस्व/अर्थदण्ड Performance के आधार होगे।

7– कोई विशिष्ट मुकदमा किसी विशिष्ट अधिवक्ता को आवंटित किये जाने का अधिकार सम्बन्धित जोन के मुख्य अभियन्ता (वितरण)/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/प्रबन्ध निदेशक को होगा।

8– कारपोरेशन को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी पैनल अधिवक्ता को बिना नोटिस या बिना कारण बताये हटा दें।

9– कारपोरेशन की ओर से नामित अधिवक्ता कारपोरेशन के विरूद्ध किसी वाद/अपील/याचिका इत्यादि में पैरवी नहीं करेगें।

10– पैनल अधिवक्ता को पावर कारपोरेशन से सम्बन्धित वाद/अपील/ याचिका/अन्य सम्बन्धित प्रशासनिक बिन्दुओं पर अभिमत हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क अनुमन्य नहीं होगा।

11– अधिवक्ता नामित करने हेतु दिशा–निर्देशों/प्रक्रिया/नियमों/शर्तों में किसी प्रकार के शिथिलीकरण का अधिकार कारपोरेशन के निदेशक मण्डल को होगा।

12– आवश्यकतानुसार प्रत्येक जनपद में दीवानी/फौजदारी/उपभोक्ता फोरम पैनलो पर अधिवक्ता नामित किये जायेगें।

13– अधिवक्ताओं का नियुक्ति/नामांकन का नवीनीकरण प्रत्येक 03 वर्ष पर आवश्यक होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या–1420(1)–वि0प0(21)/पाकालि/2018 तद्दिनांक 21-12-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. निदेशक(का0प्र0एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/केस्को, कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त उप विधि अधिकारी, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, (चतुर्थ तल), लखनऊ।
9. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशासन)